(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 33/2023
नई दिल्ली, दिनांकः 26 सितंबर, 2023

विषयः दिनांक 01.10.2023 से किए गए निर्यातों के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को आगे बढाने के संबंध में।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा दिनांक 01.10.2023 से किए गए निर्यातों के लिए आरओडीटीईपी स्कीम के विस्तार को अधिसूचित करती है।

2. आरओडीटीईपी के तहत शामिल सभी मदों के लिए मौजूदा दरें दिनांक 01.10.2023 से 30.06.2024 तक किए गए निर्यातों के लिए लागू होगी। तथापि, यह एफटीपी 2023 के पैरा 4.54 के तहत प्रदान किए गए बजटीय ढांचे के अध्यधीन होगी ताकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए छूट स्कीम का प्रबंधन अनुमोदित बजट के अंतर्गत किया जा सके।

इस अधिसूचना का प्रभावः आरओडीटीईपी स्कीम दिनांक 01.10.2023 से किए गए निर्यातों के लिए आगे बढ़ाया गया है और यह 30.06.2024 तक लागू रहेगी।

संतोष कुमार सारंगी
26.9.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/61/180/155/एएम21/पीसी–3 (भाग 1) से जारी)